



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 390-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2021-13-काविनी/09(Vol-II)

दिनांक 30 अप्रैल, 2021

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं
केस्को, कानपुर।

विषय :- सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में ए0सी0पी0 योजना लागू किये जाने विषयक निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 55-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि-13-काविनी एवं वे.प्र./09 दिनांक 12.01.2017 में निम्नवत् प्राविधानित है :-

“सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था सम्बन्धी निर्गत कारपोरेशनादेश सं० 55 दि० 12.01.2017 जिसमें अन्य व्यवस्थाओं एवं प्राविधानों के साथ ही प्रस्तर-4 (शर्तें एवं प्रतिबन्ध) शीर्षक के अन्तर्गत उप बिन्दु-(x) में यह प्राविधानित है कि ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोंन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है एवं इसका कार्मिक की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कार्मिक इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कार्मिक इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं करेगा कि उससे कनिष्ठ कार्मिक को अधिक वेतन/ग्रेड-वेतन प्राप्त हो रहा है।”

2. उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानों के बावजूद भी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) सम्बन्धी कारपोरेशनादेश में कहीं-कहीं पर असंगत प्राविधान एवं उदाहरण होने के कारण कारपोरेशन में प्रायः अनेक ऐसे प्रकरण सन्दर्भित होते रहते हैं, जिनमें ए0सी0पी0 व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं।

3. अतएव, उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(23)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं० 5/2020/वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008(टीसी-1) दि० 29.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) को कारपोरेशन कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ए0सी0पी0 सम्बन्धी कारपोरेशनादेशों में जहां कहीं भी इस प्रकार के असंगत प्राविधान एवं उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का भी वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किये जाने का उल्लेख है, उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाना है और वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर नहीं किया जाना है।

कृपया सम्बन्धित मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(दुर्गा प्रसाद दीक्षित)

(दुर्गा प्रसाद दीक्षित)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

सं०- 390-(I) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2021 तददिनांक।

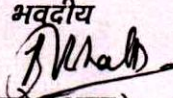
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(कमशः..... 2)

2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स०प्र०-11), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(23)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।



भवदीय

 (राकेश भट्ट)
 अनु सचिव (का०वि०नी०)


प्रेषक,

संजीव मित्रल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2020

विषय - सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू की गयी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) योजना के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09 अगस्त, 1999 के संलग्नक-1 में इस लाभ की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तों को निर्धारित करते हुये शर्त संख्या-8 में एवं इसी प्रकार संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम0ए0सी0पी0) व्यवस्था लागू करते समय इसके संलग्नक-1 के शर्त संख्या-20 में यह प्राविधान किया गया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाले लाभ पूर्णतया वैयक्तिक हैं और इन लाभों के आधार पर किसी समय बिन्दु पर किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से अधिक होने की स्थिति में उसी तिथि से वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के बराबर नहीं किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा किया गया उक्त प्रावधान निम्नवत् है:-

The financial upgradation under the ACP scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such there shall be no additional financial upgradation for the senior employee on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay scale under the ACP Scheme.

2- राज्य सरकार द्वारा भी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(15) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरप्रोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की माँग नहीं करेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 एवं 2 में उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार के सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेशों में कहीं-कहीं पर असंगत प्राविधान एवं उदाहरण होने के कारण वित्त विभाग में प्रायः अनेक ऐसे प्रकरण संदर्भित होते रहते हैं, जिनमें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का भी वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। यह स्थिति सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- अतएव उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेशों में जहां कहीं भी इस प्रकार के असंगत प्राविधान एवं उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का भी वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किये जाने का उल्लेख है उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाना है और वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर नहीं किया जाना है।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2020/वे0आ0-2-550(1)/दस-2020. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।